**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**08.02.2019 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 731 का उत्‍तर**

**रेलवे मामलों का निवारण और एफआईआर को ऑनलाइन दायर किया जाना**

**731. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेल यात्रियों को रेलवे अपराधों के संबंध में एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज कराने की अनुमति देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे पुलिस के पास दर्ज़ अपराधों की निवारण दर बहुत कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान रेलवे पुलिस स्टेशनों में दायर मामलों की संख्या, सुलझाए गए मामलों की संख्या तथा लंबित मामलों की संख्या का जोन/राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलवे मामलों का निवारण और एफआईआर को ऑनलाइन दायर किया जाने के संबंध में 08.02.2019 को राज्‍य सभा में डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र राव के अतारांकित प्रश्‍न सं. 731 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

 (क) से (ग):रेलों पर पुलिस की व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होने के नाते रेल परि‍सरों और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस (रारेपु)/जिला पुलिस के जरिए करते हैं। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर रक्षा और सुरक्षा करने तथा उनसे जुड़े मुद्दों पर राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

 रेल सुरक्षा के संबंध में, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में, हाल ही में 16.01.2019 को आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान रेल यात्रियों द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के मामले में विचार किया गया था। बहरहाल, रेलों पर पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय होने के नाते रेल यात्रियों को रेल अपराधों के संबंध में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का मामला संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

 रेलों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) से संबंधित अपराधों के मामले संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है।रेलवे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराधों का कोई डाटा नहीं रखती है। रेलवे पर अपराध की स्थिति के बारे में जब भी कोई सूचना मांगी जाती है तो उस राज्य की जीआरपी से सूचना मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है। संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए प्रत्येक मामले की जांच की जाती है और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार भारतीय रेल पर गत पांच वर्ष के दौरान रेलवे पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए मामलों की जोन-वार संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ-साथ लंबित मामलों की संख्या संलग्न हैं।

\*\*\*\*\*\*

रेलवे मामलों का निवारण और एफआईआर को ऑनलाइन दायर किया जाने के संबंध में 08.02.2019 को राज्‍य सभा में डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र राव के अतारांकित प्रश्‍न सं. 731 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **परिशिष्ट।**

1. से (ग): भारतीय रेल पर गत पांच वर्ष के दौरान रेलवे पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए मामलों की जोन-वार संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ-साथ लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्षेत्रीय रेलवे  | वर्ष  | रेलवे पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए मामलों की संख्या  | रेलवे पुलिस स्टेशनों में निपटाए गए मामलों की संख्या | रेलवे पुलिस स्टेशनों में लंबित मामलों की संख्या |
| मध्‍य | 2014 | 4807 | 3289 | 1011 |
| 2015 | 5573 | 3589 | 1470 |
| 2016 | 5614 | 3926 | 1016 |
| 2017 | 21578 | 7071 | 12784 |
| 2018 | 32494 | 6794 | 23740 |
| पूर्व मध्‍य | 2014 | 2626 | 2338 | 288 |
| 2015 | 2422 | 2266 | 156 |
| 2016 | 3229 | 3009 | 220 |
| 2017 | 3915 | 3465 | 450 |
| 2018 | 3122 | 2390 | 732 |
| पूर्व तट | 2014 | 646 | 610 | 36 |
| 2015 | 737 | 684 | 53 |
| 2016 | 583 | 757 | 96 |
| 2017 | 878 | 721 | 157 |
| 2018 | 971 | 469 | 502 |
| उत्‍तर  | 2014 | 5385 | 3780 | 538 |
| 2015 | 7580 | 4589 | 869 |
| 2016 | 8847 | 4810 | 1203 |
| 2017 | 8834 | 4265 | 2640 |
| 2018 | 7787 | 3943 | 3443 |
| उत्‍तर मध्‍य | 2014 | 4054 | 1994 | 0 |
| 2015 | 6186 | 3530 | 0 |
| 2016 | 6923 | 3656 | 2 |
| 2017 | 7801 | 4978 | 7 |
| 2018 | 8108 | 4702 | 824 |
| पूर्वोत्‍तर | 2014 | 1983 | 1983 | 0 |
| 2015 | 2429 | 2428 | 0 |
| 2016 | 2694 | 2692 | 2 |
| 2017 | 2855 | 2841 | 14 |
| 2018 | 2644 | 2300 | 344 |
| पूर्वोत्‍तर सीमा | 2014 | 554 | 126 | 0 |
| 2015 | 636 | 151 | 3 |
| 2016 | 721 | 199 | 11 |
| 2017 | 640 | 188 | 13 |
| 2018 | 818 | 216 | 137 |
| क्षेत्रीय रेलवे  | वर्ष  | रेलवे पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए मामलों की संख्या  | रेलवे पुलिस स्टेशनों में निपटाए गए मामलों की संख्या | रेलवे पुलिस स्टेशनों में लंबित मामलों की संख्या |
| उत्‍तर पश्चिम  | 2014 | 1281 | 1262 | 19 |
| 2015 | 1334 | 1318 | 16 |
| 2016 | 1463 | 1456 | 7 |
| 2017 | 1519 | 1499 | 20 |
| 2018 | 1486 | 1406 | 80 |
| दक्षिण  | 2014 | 4739 | 4738 | 1 |
| 2015 | 6587 | 6581 | 6 |
| 2016 | 8378 | 8344 | 7 |
| 2017 | 4003 | 3888 | 107 |
| 2018 | 3248 | 2551 | 687 |
| दक्ष्‍िाण मध्‍य | 2014 | 1743 | 391 | 1352 |
| 2015 | 2015 | 644 | 1371 |
| 2016 | 2149 | 681 | 1468 |
| 2017 | 2986 | 783 | 2203 |
| 2018 | 3177 | 524 | 2653 |
| दक्षिण पूर्व | 2014 | 396 | 87 | 0 |
| 2015 | 392 | 77 | 0 |
| 2016 | 578 | 110 | 0 |
| 2017 | 595 | 126 | 0 |
| 2018 | 717 | 192 | 0 |
| दक्षिण पूर्व मध्‍य | 2014 | 437 | 215 | 222 |
| 2015 | 634 | 163 | 471 |
| 2016 | 759 | 204 | 555 |
| 2017 | 1416 | 178 | 1238 |
| 2018 | 1228 | 182 | 1046 |
| दक्षिण पश्चिम | 2014 | 1466 | 1416 | 9 |
| 2015 | 1409 | 1355 | 19 |
| 2016 | 1833 | 1262 | 529 |
| 2017 | 2270 | 1113 | 1104 |
| 2018 | 1520 | 478 | 1036 |
| पश्चिम  | 2014 | 2348 | 1639 | 312 |
| 2015 | 3325 | 2184 | 502 |
| 2016 | 3329 | 2247 | 482 |
| 2017 | 12575 | 3253 | 8315 |
| 2018 | 17353 | 3301 | 13615 |
| पश्चिम मध्‍य | 2014 | 3332 | 2924 | 14 |
| 2015 | 3522 | 3234 | 6 |
| 2016 | 4076 | 3677 | 9 |
| 2017 | 4649 | 4206 | 104 |
| 2018 | 5067 | 4183 | 618 |

नोटः उक्त आंकड़ों में पूर्व रेलवे से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे में लंबित मामलों की संख्या भी संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है।

\*\*\*\*\*\*\*